

राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन जयपुर

क्रमांक एफ.वी.9(1)(4)(1)स्था/संबल/पार्ट/ 4343


दिनांक 16.10.17

नियुक्ति आदेश

राजस्थान अधीनस्थ पशुपालन सेवानियम 1977 के अनुसार कार्मिक (क-2 नियम) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.7(2) कार्मिक (क-2) 05 दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या प.12(6) वित्त/नियम/05 दिनांक 13.03.2006, प.16(2)वित्त/नियम/98 दिनांक 13.03.2006, प.13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 13.03.2006, प.6(6)वित्त/नियम/05 दिनांक 13.03.2006, प.16(5)वित्त/नियम/98 दिनांक 13.03.2006, प.1(2)वित्त/नियम/2006 दिनांक 13.03.2006 एवं समय-समय पर हुए विभिन्न संशोधनों के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2008 के नियम 22 की अनुसूची IV एवं अधिसूचना संख्या एफ.14(1)एफडी(रूल्स) 2013-II, दिनांक 28.08.2013 के अन्तर्गत पशुधन सहायक के पद पर वेतन श्रृंखला पी.बी.1-5200-20200 (9) ग्रेड पे- रूपये 2800/- मे कार्यग्रहण तिथि से दो वर्ष परीक्षा प्रशिक्षणार्थी (Probation Trainee) के रूप में रूपये 11820/- प्रतिमाह पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) की दर से पशुधन सहायक के पद पर नियुक्ति निम्न शर्तों पर करते हुये इनका पदस्थापन निम्नानुसार किया जाता है :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है।
2. यह नियुक्ति स्वास्थ्य एवं चालचलन ठीक प्रमाणित होने की शर्त के अध्याधीन की जा रही है। इसके लिए कार्यभार सम्भालने की दिनांक को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र तथा पुलिस विभाग के रिकार्ड के अनुसार चरित्र सन्तोषप्रद प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके पश्चात की कार्यग्रहण किया सकेगा।
3. विवाहित अभ्यार्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी "विवाह रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र" एवं दिनांक 01.06.2002 एवं इसके पश्चात 2 से अधिक सन्तान उत्पन्न होने संबंधी रु 50/-के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर घोषण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. परीक्षाकाल में इन्हे कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
5. उक्त परीक्षा अवधि में अन्य भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होगा। परीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि विशेष राजस्थान सेवा नियम में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। 2 वर्ष की परीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त इन्हें पशुधन सहायक पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य नियमानुसार भत्ते देय होंगे।
6. राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प13(1)एफ.डी/रूल्स/03 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.04 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार के द्वारा जारी किये गये हो, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगे।
7. संबन्धित नियन्त्रण अधिकारियों को यह निर्देश दिये जाते हैं कि उनके अधीन कार्यग्रहण करने वाले अभ्यार्थियों से राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी 2 नवीन चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे तथा इनकी शैक्षणिक योग्यता, पशुधन सहायक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पुलिस विभाग के रिकार्ड अनुसार चरित्र प्रमाण पत्र आदि के जांच उनके मूल प्रमाण पत्रों के आधार पर भलिभांति कर कार्यग्रहण करवायेंगे तथा इनकी सत्यापित प्रतियां रिकार्ड में रखेंगे। किसी भी विवादाग्रस्त स्थिति में प्रकरण निदेशालय को भिजवायेंगे।
8. इन अभ्यार्थियों को आदेश प्रसारित होने की तिथि से 21 दिवस की अवधि में कार्यग्रहण करना आवश्यक होगा अन्यथा उनके नियुक्ति आदेश निरस्त समझे जावेंगे।
9. उपरोक्त अभ्यार्थियों का चयन माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय में पशुधन सहायक भर्ती 2013 के सम्बन्ध में किसी भी लम्बित अन्य याचिका के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

क्र सं.	नाम	पिता का नाम	जन्म दिनांक	पदस्थापित स्थान
1	अशोक कुमार	राम बाबू शर्मा	02.10.1987	पशुचिकित्सालय, साडास, चित्तौडगढ़
2	पूरण मल जीन्जवाडिया	भगवान सहाय जीन्जवाडिया	10.03.1991	पशुचिकित्सालय, चैची, चित्तौडगढ़
3	मुकेश कुमार शर्मा	गोपाल लाल शर्मा	02.11.1991	पशुचिकित्सालय, दुगार चित्तौडगढ़
4	हेमराज मीणा	हजारी लाल मीणा	12.04.1985	पशुचिकित्सालय, बोराव, चित्तौडगढ़
5	सुरेश चन्द्र	सुगना राम	25.06.1981	उपकेन्द्र, चौगावडी, चित्तौडगढ़
6	मुकेश कुमार धायल	माली राम	08.08.1990	उपकेन्द्र, सुदरी, चित्तौडगढ़
7	प्रहलाद साहरण	हरी सिंह साहरण	01.07.1984	उपकेन्द्र, लालास, चित्तौडगढ़
8	मोहर सिंह	विद्याधर सिंह	06.07.1982	उपकेन्द्र, मेघपुरा, चित्तौडगढ़
9	सुनिल कुमार	सतवीर सिंह	20.11.1992	पशुचिकित्सालय, सतखण्डा, चित्तौडगढ़
10	राजेश रोट	नवनीत लाल रोट	01.11.1978	उपकेन्द्र धार, उदयपुर
11	राजेन्द्र प्रसाद	लालू राम	01.02.1985	उपकेन्द्र, बडेची, सिरौही
12	महेश कुमार यादव	हरी सिंह यादव	01.05.1985	उपकेन्द्र, लुणोल, सिरौही
13	परसादी लाल मीणा	हजारी लाल मीणा	01.07.1985	उपकेन्द्र, सुलिवा, सिरौही
14	अजय कुमार मीणा	ओमप्रकाश मीणा	04.05.1994	उपकेन्द्र, पीथापुरा, सिरौही
15	प्रेम सिंह जाटव	रमेश चन्द जाटव	05.08.1987	उपकेन्द्र, जैतावाडा सिरौही
16	रमेश चन्द खटीक	प्रहलाद खटीक	10.04.1981	उपकेन्द्र, मकावल, सिरौही
17	उर्मिला कुमारी	सुरेश कुमार खेदर	10.03.1990	उपकेन्द्र, अजारी, सिरौही
18	कृष्ण कुमार मीणा	बद्री नारायण मीणा	10.10.1984	उपकेन्द्र, मालेरा, सिरौही
19	लक्ष्मण सिंह पारगी	धनपाल पारगी	17.05.1982	उपकेन्द्र धोलिया, उदयपुर
20	स्नेहलता राजोरा	शिव सिंह राजोरा	19.01.1978	उपकेन्द्र, वाटेरा, सिरौही



 (डॉ. अजय कुमार गुप्ता)
 निदेशक

क्रमांक एफ.वी.9(1)(4)(8)स्था/संबल/पार्ट/ 4347-4374

दिनांक 16.10.17

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. शासन.उप सचिव, पशुपालन विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव निदेशक, पशुपालन विभाग जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक(क्षेत्र) पशुपालन विभाग, उदयपुर, जोधपुर।
5. संयुक्त/उप निदेशक पशुपालन विभाग चित्तौडगढ़, सिरौही, उदयपुर को भेजकर लेख है किसी भी नवचयनित अभ्यर्थी के नाम अथवा पदस्थापन स्थान में यदि कोई संशोधन अपेक्षित हो तो कार्यग्रहण करने की अन्तिम तिथि के पश्चात तीन दिवस में निदेशालय को सूचित किया जावे।
6. संबन्धित कोषाधिकारी द्वारा संबन्धित अधिकारी।
7. संबन्धित अभ्यर्थी (नाम से)
8. निजी/रक्षित पंजीका।


 (डॉ. महेश कटारा)
 अतिरिक्त निदेशक (उत्पादन)